

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011
सम्मिलित सेवाओं की विभागवार सूची

क्रम संख्या	विभाग	सम्मिलित सेवाओं की संख्या	सम्मिलित सेवाएं	समय सीमा (दिवसों में)
1.	राजस्व एवं उपनिवेशन	09	1. लैण्ड रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना। 2. समयबद्ध कृषि भूमि नामान्तरण 3. पत्थर गढ़ी सीमा ज्ञान 4. गैर खातेदारी से खातेदारी सेवाएं 5. कनवरशन सेवाएं 6. जाति प्रमाण पत्र 7. मूल निवास प्रमाण पत्र 8. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 9. हैंसियत प्रमाण पत्र।	07 47 15 30 05 05 05 05 05
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	07	1. हैडपम्प ठीक करवाना। 2. नये जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। 3. जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करवाना। 4. पानी के बिल को ठीक करवाना। 5. पानी के मीटर बदलवाना। 6. (अ)प्रतिभूति निष्केप / सिक्योरिटी डिपोजिट लौटाने के प्रकरण। (ब) धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) लौटाने के प्रकरण। 7. कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम भुगतान (फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन)।	03 07 03 03 07 90 10 90
3	जल संसाधन विभाग	35	1. पेन्शन संबंधी प्रकरण 2. अरनेस्ट मनी 3. कार्य पूर्ण होने पर अन्तिम बिल का भुगतान 4. धरोहर राशि 5. राजकीय खाले/नहरों पर अतिक्रमण 6. नक्का परिवर्तन 7. दिन रात की बारी में परिवर्तन 8. खिचाई/भराई संबंधित प्रार्थना पत्र 9. दोषपूर्ण मोघे पठन की शिकायत 10. पानी पूरा प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायत 11. पानी की बारी का हस्तान्तरण 12. बून्द-बून्द सिंचाई में बागों को राज्य नीति के अनुसार पानी की स्वीकृति 13. जल उपयोगिता संगर्मों को (i) सिंचाई शुल्क में 50 प्रतिशत राशि का भुगतान (ii) नहरों में रखरखाव के कार्यों का भुगतान 14. नहर में कटाव संबंधी शिकायतें 15. पानी चोरी संबंधी शिकायत 16. स्वीकृत कमाण्ड क्षेत्र में पानी की बारी बांधना व पर्ची जारी करना। 17. राजकीय निर्देशानुसार सिंचाई की स्थायी पर्चिया जारी करना 18. नया फील्ड चैनल की स्वीकृति 19. वाटर कोर्स के एलाइमेन्ट में परिवर्तन 20. अतिरिक्त नाका प्रकरण 21. आउ स्वीकृति के प्रकरण (भूमि के बंटवारे के कारण) 22. आपसी बटवारे के कारण पानी की बारी में संशोधन। 23. नाकेवार बारी के स्थान पर खातेवार पानी बांधना 24. अवैध सिंचाई के कारण काटा पानी को बहाल करना। 25. लेवल करने के पश्चात् भट्टे का पानी की बारी बांधना 26. 1 चक को 2 चक में विभाजन 27. दो चकों को एक चक में सम्मिलित करना	30 15 90 90 5
	जल संसाधन विभाग एवं इन्द्रा गांधी नहर विभाग			

			28. एक चक से दूसरे चक में कमाण्ड क्षेत्र का स्थानान्तरण 29. नहर के साथ पेड़ों के सीमांकन की जानकारी 30. अनकमाण्ड को कमाण्ड से संबंधित प्रकरण 31. एक नहर प्रणाली से दूसरी नहर प्रणाली में भूमि का स्थानान्तरण 32. एक परियोजना से दूसरी परियोजना में कमाण्ड भूमि स्थानान्तरण 33. पीने का पानी सार्वजनिक/धार्मिक के लिए आवंटन 34. स्वीकृत चक प्लान की प्रति 35. चक के हाईड्रोलिक डाटा	
4	सार्वजनिक निर्माण विभाग	07	1. आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी) 2. आपूर्ति निविदाओं के मामले में प्रतिभूति निष्केप (एस.डी.) राशि का प्रतिदाय 3. परिवहन अनुबन्ध से संबंधित मामलों में पी.जी./प्रतिभूति निष्केप का प्रतिदाय 4. साधारण मरम्मत कार्यों की प्रतिभूति निष्केप राशि का प्रतिदाय 5. नवीन कार्यों/ विशेष मरम्मत कार्यों (लागत रु.10 लाख व कम) के मामलों में प्रतिभूति निष्केप (एस.डी.) का प्रतिदाय 6. नवीन कार्यों/ विशेष मरम्मत कार्यों (लागत रु.10 लाख से अधिक) के मामलों में प्रतिभूति निष्केप (एस.डी.) का प्रतिदाय 7. टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राईट ऑफ वें और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना। (1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीमा देना। (2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	15 30 अंतिम बिल भुगतान के समय 90 90 90 90
5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	06	1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र 2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र 3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना : (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र 4. राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र 5. राज्य विधवा पेंशन योजना : (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र 6. राज्य निःशक्ति पेंशन योजना : (1) शहरी क्षेत्र (2) ग्रामीण क्षेत्र	90 90 90 90 90 90
6	विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	12	1. जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSY) अन्तर्गत दिए जाने भुगतान राशि 1000 / (शहरी) 1400 / (ग्रामीण) 2. विकलांगता प्रमाण पत्र Visible Disability 3. विकलांगता प्रमाण पत्र Complicated Disability बोर्ड के द्वारा 4. खाद्य अनुज्ञापत्र 5. निर्माण खाद्य अनुज्ञा पत्र 6. अनुज्ञा पत्र औषधि	डिस्चार्ज के समय उसी दिन 21 दिन 60 60 20

			7. अनुज्ञा पत्र औषधि निर्माण 8. नसबन्दी करवाने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान महिला नसबन्दी 600/- पुरुष नसबन्दी 1100/- 9. नसबन्दी प्रमाण—पत्र (महिला) 10. नसबन्दी प्रमाण—पत्र (पुरुष) 11. पोस्टमार्टमन रिपोर्ट 12. मेडिकोलीको रिपोर्ट (MLC)	90 डिस्चार्ज के समय उसी दिन उसी दिन 24 घंटे 24 घंटे
7	ऊर्जा विभाग	07	1. (I) नये घरेलू *व्यवासायिक कनेक्शन जारी करना (विद्युतीकृत क्षेत्रों में) (II) विद्युतीकृत संस्थितियों में नये औद्योगिक कनेक्शन जारी करना	21 से 45 दिन 21 से 180 दिन
			2. विद्युत बिल को ठीक करवाना	7 से 60 दिन
			3. मीटर बदलवाना	15 से 60 दिन
			4. विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना	1 से 07 दिन
			5. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेवाओं से संबंधित मामलों में शर्तों के साथ सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान	15 से 180 दिन एवं अति 12 माह
			6. सौर जनरेटर के लिये नियमन 32 के तहत	
			7. ट्रांसफार्मर उर्जाकरण के लिये नियमन 43 के तहत	
8	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	02	1. नये राशन कार्ड बनवाने हेतु (1) जिला मुख्यालय का नगर पालिका क्षेत्र (2) शेष नगर पालिका क्षेत्र में (3) ग्रामीण क्षेत्र के लिये (4) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत 2. विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत, विनिर्माता/व्यवहारी/ मरम्मतकर्ता का अनुज्ञापत्र तथा पैकर पंजीयन	07
9	गृह (पुलिस) विभाग	04	1. सर्विस सत्यापन	30
			2. पासपोर्ट के लिए सत्यापत	30
			3. आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण के लिए सत्यापन	30
			4. एफ.आई.आर. की प्रति/नकल उपलब्ध करवाना	01
10	यातायात विभाग	04	1. लर्निंग लाईसेन्स जारी करना	02
			2. स्थायी ड्राइविंग लाईसेन्स	03
			3. डुप्लीकेट लाईसेन्स	03
			4. लाईसेन्स का नवीनीकरण	3 से 45 दिन
11.	(1) समस्त विभाग (2) पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेर विभाग (3) कोष एवं लेखा विभाग (4) कोष लेखा विभाग एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	10	1. सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण/समस्याओं का निवारण	सेवानिवृति के 180 दिन पूर्व
			2. सेवा में रहते कर्मचारी की/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन एवं उपादान स्वीकृति का प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाना	मृत्यु सूचना के 30 दिन में
			3. पेंशन एवं उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन अधिकृत करना (राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996—नियम 87)	30 दिन
			4. सेवा में रहते कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन एवं उपादान की अधिकृति जारी करना	15 दिन
			5. पेंशन का प्रथम भुगतान एवं उपादान, रूपान्तरित पेंशन की अधिकृतियों का भुगतान	7 से 30 दिन
			6. कम्प्यूटेशन पेंशन का रेस्टोरेशन	30 दिन
			7. पेंशन के जीवनकालीन ऐरियर का भुगतान	30 दिन
			8. पीपीओ के पेंशनर हॉफ की डुप्लीकेट प्रति जारी करना	30 दिन
			9. राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापियां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में होटल बार/ क्लब बार लाईसेन्स जारी करना	
			10. राजस्थान आबकारी (रिस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापियां प्रदाय) नियम 2004 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत	

			करने की स्थिति में रेस्टोरेन्ट बार लाईसेंस जारी करना	
12	चिकित्सा शिक्षा	02	1. विकलांगता प्रमाण पत्र 2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट	उसी दिन 01
13	नगरीय विकास विभाग	21	1. नाम हस्तान्तरण 2. भूखण्ड का उप विभाजन / पुनर्गठन 3. दस्तावेज़ / मानचित्र की प्रति प्राप्त करना 4. लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु 5. योजना का मानचित्र अनुमोदन 6. भवन मानचित्र अनुमोदन 7. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण 8. अमानत राशि का भुगतान 9. धरोहर राशि का भुगतान 10. कब्जा पत्र 11. लीज डीड जारी करना 12. विक्रय अनुमति 13. ले-आउट अनुमोदन पश्चात पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से संबंधित) 14. कच्ची बस्ती नियमन उपरान्त पट्टे जारी करना 15. अनापत्ति प्रमाण पत्र 16. भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में (1) भवन मानचित्र अनुमोदन (2) भूखण्डों का उप विभाजन एवं पुर्नगठन (3) भू-उपयोग परिवर्तन 17. राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90 ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही 18. लीज डीड जारी करना 19. ले-आउट प्लान अनुमोदन पश्चात पट्टा जारी करना (कृषि भूमि से सम्बन्धित) 20. भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना 21. कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	
14	राजस्थान आवासन मण्डल	23	1. वरीयता क्रमांक कार्ड 2. आरक्षण पत्र/पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र 3. आवंटन पत्र 4. मकान का कब्जा पत्र 5. मकान का कब्जा 6. आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड करना 7. पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र 8. नीलामी बोली की स्वीकारोक्ति एवं मांग पत्र 9. एकमुश्त लीज पत्र 10. हस्तान्तरण विक्रय परस्पर/नामदर्ज/ मृत्यु प्रकरण 11. नियमितिकरण प्रकरण 12. आय वर्ग में परिवर्तन 13. बकाया/शेष राशि की जानकारी हेतु/अन्य राशि मांग 14. ऋण दात्री संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना 15. पता परिवर्तन की सूचना 16. अर्नेस्ट मनी रिफण्ड 17. संवेदकों का पंजीकरण 18. भूमि का मुआवजा नगद राशि में 19. विकसित भूखण्ड 20. आवास पंजीयन 21. भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन 22. धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने के प्रकरण 23. मण्डल द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के फाईनल बिल, टाईम एक्सटेंशन एवं डेवियेशन की सक्षम स्वीकृति	60 60 90 30 15 30 15 10 30 90 15 30 10 10 30 30 30 60 90 30 30 30 60 30 30 30 60 30 30 15 से 30 दिन
15	स्वायत्त	24	1. खाद्य के अतिरिक्त दिये जाने वाले लाईसेंसों का विवरण	15 से 30 दिन

शासन/स्थानीय निकाय विभाग			2. अग्रिं शमन एवं अन्य सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।	7 से 30 दिन
			3. भवनों के नक्शों की स्वीकृति के संबंध में :	15 से 60 दिन
			4. जन स्वास्थ्य संबंधी कार्य	प्रति वर्ष वर्षा से पूर्व 7 से 15 दिन
			5. अमानत/धरोहर राशि (Earnest Money Security Deposit) का समय पर भुगतान	30 से 180
			6. जन्म—मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना : (जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत किया जाना कानूनन अनिवार्य है)	7 से 30 दिन
			7. विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07
			8. नाम हस्तान्तरण	15
			9. दस्तावेज़ / मानचित्र की प्रति प्राप्त करना :	15
			10.लीज मुक्ति प्रमाण पत्र	7
			11. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण	7
			12.नाम हस्तान्तरण ।	15
			13.भू—राजस्व अधिनियम की धारा—90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण /नियमन/आवंटन।	
			14.भू—उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही ।	
			15.राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी—2010 के तहत ले—आउट प्लान अनुमोदन ।	
			16.उप—विभाजन व पुर्नगठन	
			17.लीजडीड/ पट्टा जारी किया जाना ।	
			18.भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का क्षेत्रफल 225 व.मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.मी. तक (औद्योगिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग) भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक (समस्त उपयोग)	
			19.ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाना ।	
			20.अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र ।	
			21.पूर्ता / अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना । <ul style="list-style-type: none">• प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना• कम्पलीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	
			22.लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना ।	
			23.नगरीय विकास कर जमा कराना ।	
			24.सीवर कनेक्शन जारी करना ।	
16	अल्प संख्यक मामलात विभाग (अधिसूचना दिनांक 09.05. 2012)	02	1. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र 2. नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स एक्ट, 2004 के अधीन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना	
17	पंचायती राज विभाग (अधिसूचना दिनांक 07.06. 2012)	02	1. प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना 2. पूर्व में जारी पट्टे की नकल जारी करना	
18	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अधिसूचना दिनांक 27.06. 2012)	01	1. राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश/ अनुमोदन अनुसार देय नि: शुल्क/ रियायती यात्रा सुविधाओं के लिए परिचय पत्र जारी करने एवं उनका नवीनीकरण करने	
19	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (अधिसूचना दिनांक 10.10.2016)	13	1. बीमा ऋण 2. बीमा स्वत्व 3. बीमा पॉलिसी जारी करना 4. जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन	

			5. जीपीएफ अंतिम आहरण 6. जीपीएफ स्वत्व 7. बीमा / जीपीएफ खाता स्थानान्तरण 8. अधिक जोखिम वहन करना 9. साधारण बीमा योजना दावा 10. विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा 11. समुह दुर्घटना बीमा योजना दावा 12. मेडिकलेम 13. प्रान जारी करना	
20	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर (आधिसूचना दिनांक 08.08.2017)	1	1. दस्तावेज पंजीयन	
21	उद्योग विभाग (आधिसूचना दिनांक 18.10.2017, 30.10.2017)	3	1.भागीदारी फर्म पंजीयन 2.(i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति— (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू-कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति— (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (iii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की स्वीकृति (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (iv) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान की स्वीकृति (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज (v) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सैक्टर में ब्याज अनुदान का वितरण (vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण 3. (i) भूमि आवंटन के लिये अ. लाटरी के तहत ब.पहले आओ पहले पाओ के तहत सं. पसंद के अनुसार (ii) जल कनेक्शन हेतु (iii) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु (iv) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	

22	श्रम विभाग (अधिसूचना दिनांक 18.10.2017)	9	1.राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का अधिनियम, 1958 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण 2.ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स 3.ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970(प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन 4.भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत संस्थानों का पंजीयन 5.श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के तहत पंजीयन 6.बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण 7.मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण 8.केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (ठेकेदार) के तहत लाइसेन्स एवं नवीनीकरण 9.केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 (प्रधान नियोक्ता) के तहत पंजीयन	
23	कारखाना एवं बायलर्स विभाग (अधिसूचना दिनांक 18.10.2017)	8	1.कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन के निर्माण / विस्तार / अथवा उपयोग में लिये जाने हेतु स्वीकृति व नक्शे अनुमोदन 2.कारखाने का पंजीयन—कारखाना अधिनियम, 1948 3.कारखाने का नवीनीकरण — कारखाना अधिनियम, 1948 4.बॉयलर का नवीनीकरण — बॉयलर अधिनियम, 1923 5.बॉयलर का पंजीयन — बॉयलर अधिनियम, 1923 6.कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों का निरीक्षण 7.बॉयलर एकट, 1923 के तहत बॉयलर निर्माता, बॉयलर विनिर्माण और मरम्मत, मरम्मतकर्ता / ईरेक्टर, म्तमबजवतद्व, वेल्डर और विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृति / अनुमोदन — भारतीय बॉयलर विनियमन, 1950 के नियम 8.प्रशिक्षण संस्थान का अनुमोदन और राजफैब वेब पोर्टल के माध्यम से पेपरलेस सेवाओं के तहत अन्य अनुमोदन	
24	सहकारिता विभाग (अधिसूचना दिनांक 30.10.2017)	4	1.सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाइटी का पंजीकरण करना 2.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना। 3.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना। 4.राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (अधिसूचना दिनांक 30.10.2017)	5	1.जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति 2.जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति 3.वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति 4.वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति 5.परिस्कंटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	
योग		221		